



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 186 राँची, सोमवार,

27 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 मार्च, 2023

संख्या-4/नियुक्ति-01-01/2023 का. 1496--प्रथम सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या- 05/2005) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में मूल कोटि के वेतनमान (रु० 9300-34,800/- ग्रेड पे- 5400 रु०, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9) में परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला
I	II	III	IV	V
1.	20052235	श्री राजेश कुमार	09.09.1967	भागलपुर, बिहार
2.	20057187	श्री मनोज कुमार गोप	01.01.1977	गुमला
3.	20057107	श्री मुकेश कुमार	31.01.1972	गिरिडीह
4.	20050360	श्री लाल बालकिशोर नाथ शाहदेव	10.11.1965	लोहरदगा
5.	20055110	श्री त्रिभुवन कुमार सिंह	08.05.1968	देवघर
6.	20057069	श्री जयंत कुमार तिवारी	01.03.1970	चतरा
7.	20054254	श्री ओम प्रियदर्शी गुप्ता	07.12.1974	धनबाद
8.	20050152	श्री राज कुमार चौधरी	01.01.1965	खगड़िया, बिहार
9.	20055755	श्री संजय कुमार शुक्ला	15.01.1970	मुंगेर, बिहार
10.	20051498	श्री आशुतोष ठाकुर	30.01.1972	बाँका, बिहार
11.	20050380	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	01.07.1972	गुमला
12.	20055541	श्री मनोज कुमार	05.06.1976	गिरिडीह
13.	20056085	श्री नीतेश कुमार गौतम	28.06.1976	गिरिडीह
14.	20055567	श्री सुदर्शन ठाकुर	02.01.1965	भोजपुर, बिहार
15.	20057466	श्री कांचन मुखर्जी	10.08.1970	राँची
16.	20053039	श्री ललीत नारायण तिवारी	27.11.1977	रामगढ़
17.	20055598	श्री कलीन्द्र साहु	24.05.1965	सिमडेगा
18.	20055906	श्री संजय कुमार	15.08.1970	पूर्वी चम्पापरण, बिहार
19.	20052076	श्री मनोज कुमार चौरसिया	18.12.1971	हजारीबाग
20.	20052324	श्री शिव बालक प्रसाद	09.09.1972	खूँटी
21.	20054131	श्री अनुरंजन झा	10.01.1976	भागलपुर, बिहार
22.	20057488	श्री लक्ष्मण यादव	06.05.1975	गिरिडीह
23.	20055682	श्री कमलेश कुमार दास	07.11.1977	गिरिडीह
24.	20055019	मो० हु सैन	05.01.1977	रामगढ़
25.	20055870	श्री विपिन चन्द्र विश्वास	16.02.1968	गिरिडीह
26.	20056503	श्री रविनन्दन उराँव	11.12.1969	गुमला
27.	20051406	श्री श्रवण कुमार भगत	25.02.1971	गोड्डा

28.	20052267	श्री विजय उराँव	11.01.1977	लोहरदगा
29.	20050515	श्री मुरारी नायक	02.07.1970	बोकारो
30.	20055538	श्री मनोज कुमार रवि	18.11.1973	हजारीबाग
31.	20057486	श्रीमती अम्बिका कुमारी	12.10.1976	लोहरदगा
32.	20050692	श्री प्रभात रंजन ज्ञानी	01.01.1968	राँची
33.	20053801	श्री प्रेम कुमार	30.03.1975	गोड्डा
34.	20055138	श्री विजय रंजन तिर्की	20.10.1977	राँची
35.	20052260	श्री दीपक कुजूर	29.06.1974	लोहरदगा
36.	20054343	श्री खोपलाल राम	12.05.1975	हजारीबाग
37.	20057601	श्री सुनील कुमार मुर्मू	10.01.1977	देवघर
38.	20052489	श्री विजय राम	12.07.1973	पलामू
39.	20051177	श्री प्रधान हाँसदाक	06.08.1971	दुमका
40.	20053186	श्री देवलाल करमाली	10.05.1972	रामगढ़
41.	20057569	श्रीमती जया कुमारी	30.01.1975	लोहरदगा
42.	20056211	श्री दीपक कुमार मिश्रा	10.10.1969	खगड़िया, बिहार
43.	20050890	श्री नैमन कुजूर	31.03.1977	लोहरदगा
44.	20056375	श्रीमती विजय लक्ष्मी सिंघु	05.01.1965	पश्चिमी सिंहभूम
45.	20051410	श्री सोमनाथ उराँव	06.01.1974	राँची

(i) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संस्थागत प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें जिला प्रशिक्षण में भेजा जाएगा, जहाँ वे कोषागार प्रशिक्षण, राजस्व प्रशिक्षण एवं न्यायिक प्रशिक्षण के साथ अन्य अनिवार्य प्रशिक्षण जिला के उपायुक्त के अधीन प्राप्त करेंगे। संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवनियुक्त परीक्ष्यमान उप समाहर्ताओं का प्रशिक्षण विभागीय पत्रांक 2/स्था०नि०-01/08 का 0 4191 दिनांक 08.07.2008 द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि एवं कार्यक्रम के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी संलग्न विहित प्रपत्र में अपने पता में अंकित जिला के अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र प्रशिक्षण हेतु योगदान के समय श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में समर्पित करेंगे कि इनके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधवाद/अन्य वाद दायर नहीं है एवं इनका आचरण प्रतिकूल नहीं है।

(iii) अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है।

(iv) सभी अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 20.03.2023 से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

(v) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में योगदान के समय निम्न कागजात समर्पित करना होगा :-

(क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-1919 दिनांक 28.01.76 द्वारा दहेज न लेने/देने से संबंधित घोषणा पत्र।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या- 5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा।

(ग) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र।

(घ) पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति।

(vi) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा मैट्रिक एवं स्नातक के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया है, उन्हें श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में योगदान के समय अनिवार्य रूप से मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना होगा।

(vii) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जाएगी।

(viii) नियुक्ति विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5817 दिनांक 03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्वकृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ix) विभागीय अधिसूचना संख्या 403 दिनांक 27.01.2022 के आलोक में परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ताओं को जिलों में प्रशिक्षण हेतु जिला का आवंटन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।
